भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1653

उत्तर देने की तारीख- 10/02/2026

दृष्टिबाधित व्यक्ति

1653. श्री नवीन जिंदल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 दिसम्बर, 2025 की स्थिति के अनुसार देश में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) दृष्टिबाधित व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजनाओं में से प्रत्येक योजना के संबंध में निर्धारित और प्राप्त किए गए परिव्यय और वास्तविक व्यय कितना है और चालू राजकोषीय योजना में प्रत्येक योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य और परिव्यय क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): वर्ष 2011 में आयोजित अंतिम जनगणना के अनुसार, देश में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की संख्या 50,33,431 थी। राज्य-वार दृष्टिबाधित व्यक्तियों की संख्या का विवरण अनुबंध-I में संलग्न है।

(ख): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) दृष्टिबाधित व्यक्तियों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। कुछ प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(i) DDRS: दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (DDRS) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसके अंतर्गत दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने वाली परियोजनाओं हेतु अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनके शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक तथा सामाजिक-कार्यक्षमतात्मक स्तरों को प्राप्त करने एवं बनाए रखने में सक्षम बनाना है। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र भी इस योजना का हिस्सा हैं।

(ii) ADIP: विभाग द्वारा 'दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता योजना (ADIP)' का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को धनराशि प्रदान की जाती है ताकि दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, उन्नत, वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक एवं मानक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा सकें, जिससे दिव्यांगता के प्रभाव को कम कर उनके शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके तथा उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि हो।

(iii) छात्रवृत्ति: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 'दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति' नामक एक छत्र योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित छह घटक सम्मिलित हैं:

- पूर्व-मैट्रिक (कक्षा IX एवं X),
- पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री एवं डिप्लोमा),
- टॉप क्लास एजुकेशन (अधिसूचित उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा),
- राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री/पीएच.डी.),
- दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल. एवं पीएच.डी.),
- निःशुल्क कोचिंग (समूह 'क' एवं 'ख' पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं हेतु)।

(iv) SIPDA: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा) एक छत्र योजना है, जिसमें निम्नलिखित उप-योजनाएँ सम्मिलित हैं:

(i) दिव्यांगजनों के लिए बाधा-मुक्त परिवेश (BFE) का सृजन

(ii) बहु-दिव्यांगता प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (CDEIC)

(iii) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (UDID) परियोजना

(iv) दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAP)

(v) सेवा-कालीन प्रशिक्षण सहित जागरूकता सृजन एवं प्रचार (AGP)

(vi) रीढ़ की हड्डी चोट केंद्रों को सहायता

(vii) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद एवं मुद्दों पर दिव्यांगता संबंधी अनुसंधान

(viii) 'सिपडा के अंतर्गत परियोजनाएँ' नामक उप-योजना:

(क) सुलभ शिक्षण सामग्री के विकास हेतु वित्तीय सहायता परियोजना (DALM परियोजना)

(ख) विद्यमान बधिर महाविद्यालयों को सहायता

(ix) केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (CPMU) सह डेटा रणनीति इकाई (DSU)

(ग): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित दिव्यांगजनों के लिए क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित परिव्यय तथा वास्तविक व्यय का विवरण अनुबंध-II में संलग्न है।

*****

दृष्टिबाधित व्यक्तियों के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1653 दिनांक 10.02.2026 के भाग (क) के उत्तर के संदर्भ में परिशिष्ट।

जनगणना 2011 के अनुसार दृष्टिबाधित दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या		
क्रम संख्या	राज्य	जनगणना 2011 के अनुसार दृष्टिबाधित दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	3,98,144
2	अरुणाचल प्रदेश	5,652
3	असम	80,553
4	बिहार	5,49,080
5	छत्तीसगढ़	1,11,169
6	दिल्ली	30,124
7	गोवा	4,964
8	गुजरात	2,14,150
9	हरियाणा	82,702
10	हिमाचल प्रदेश	26,076
11	जम्मू कश्मीर	66,448
12	झारखंड	1,80,721
13	कर्नाटक	2,64,170
14	केरल	1,15,513
15	मध्य प्रदेश	2,70,751
16	महाराष्ट्र	5,74,052
17	मणिपुर	19,194
18	मिज़ोरम	2,035
19	मेघालय	6,980
20	नागालैंड	4,150
21	ओडिशा	2,63,799
22	पंजाब	82,199
23	राजस्थान	3,14,618
24	सिक्किम	2,772
25	तमिलनाडु	1,27,405
26	त्रिपुरा	10,828
27	उत्तर प्रदेश	7,63,988
28	उत्तराखंड	29,107
29	पश्चिम बंगाल	4,24,473
30	अंडमान निकोबार	1,084
31	चंडीगढ़	1,774
32	दमन दीव	382
33	दादर नगर हवेली	429
34	लक्षद्वीप	337
35	पुदुचेरी	3,608
कुल		**50,33,431**

*****

दृष्टिबाधित व्यक्तियों के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1653 दिनांक 10.02.2026 के भाग (ग) के उत्तर के संदर्भ में परिशिष्ट II

पिछले 5 वर्षों के दौरान योजना-वार बजट आवंटन, संशोधित आवंटन तथा वास्तविक व्यय

रुपये करोड़ में

क्रम सं.	योजना	बीई 2021-22	आरई 2021-22	एई 2021-22	बीई 2022-23	आरई 2022-23	एई 2022-23	बीई 2023-24	आरई 2023-24	एई 2023-24	बीई 2024-25	आरई 2024-25	एई 2024-25	बीई 2025-26	आरई 2025-26	06.02.2026 की स्थिति के अनुसार एई
1	सहायक यंत्रों / उपकरणों की खरीद एवं फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)	220	180	198.7	235	230	242.2	245	305	290.6	315	350	348.8	316.7	330.6	291.05
2	दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)	125.00	105.00	100.90	125.00	105.00	114.69	130.00	130.00	129.98	165.00	139.00	139.39	165.00	145.00	76.94
3	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)	209.77	147.31	108.44	240.39	100.00	65.59	150.00	67.00	76.79	135.33	80.00	89.71	115.10	200.00	98.71
4	दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	125.00	110.00	120.32	105.00	145.00	142.00	155.00	155.00	130.07	142.68	111.00	44.16	145.00	135.00	75.57
	कुल योजना	**679.77**	**542.31**	**528.36**	**705.39**	**580.00**	**564.57**	**680.00**	**657.00**	**627.44**	**758.01**	**680.00**	**622.07**	**741.80**	**810.60**	**542.27**

बीई- बजट अनुमान

आरई – संशोधित अनुमान

एई- वास्तविक व्यय

*****